8.	सभी घरों पर नल कनेक्शन नहीं होना।	हर घर में नल कनेक्शन सुनिश्चित करना।	पंचायत/ जल समिति
9.	जल वितरण व्यवस्था पुरानी होने के कारण पाइपों में जंग लगना आदि।	खराब एवं क्षतिग्रस्त पाइप को बदलना।	पंचायत/ जल समिति
10.	अतिरिक्त पुर्जे एवं रिकार्ड आदि का उचित प्रबंधन नहीं होना।	सामग्री रजिस्टर संधारित करना।	पंचायत/ जल समिति
11.	जल कर कम जमा होना।	समुदाय को जल कर जमा करने के लिये जागरूक करना एवं नियमित जलकर एकत्रित करना	पंचायत/ जल समिति/एस एचजी
12.	पंप मशीनरी आदि के सुधार में विलंब होना।	प्रशिक्षित मैकेनिक से वार्षिक अनुबंध करना एवं मरम्मत कार्य का उसको समय पर भुगतान करना।	पंचायत/ जल समिति
13.	जल आपूर्ति हेतु समय सारणी नियमों का अभाव	सामुदायिक स्थानों पर जल वितरण की जानकारी चस्पा करवाना।	पंचायत/ जल समिति

"अपनों से है प्यार तो पानी को बचाकर,
करो उन पर एक उपकार।"

**आज एक कदम और बढ़ाओ,
जल बचाने की परंपरा बनाओ।**

समर्थन- सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो विगत 25 वर्ष से भारत देश के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय निकायों, सामुदायिक संगठनों, अन्य स्वंयसेवी संस्थाओं, स्थानीय लोगों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु का निर्माण हो जिससे समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग की आवाज बुलन्द हो सके और वे भी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। समर्थन पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य, जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्य करती है। इसके साथ ही बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से नीतिगत बदलाव हेतु साक्ष्य आधारित संवाद करना भी संस्था का प्रमुख कार्य है।

german cooperation

WELT HUNGER HILFE
WHH

**हम सब का एक ही सपना,
जल को बचाना लक्ष्य अपना।**

नल जल योजना के क्रियान्वयन में जल एवं स्वच्छता समिति की भूमिका

हमारा पानी, हमारा प्रबंधन

जल जीवन मिशन क्या है ?

- प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिये घोषणा की गयी थी।
- गाँव के हर घर को 2024 तक चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- गावों में स्थायी जल स्रातों, पानी टंकी एवं पाइप लाइन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जायेगा।
- एक परिवार में प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध किया जायेगा।
- ऐसे गांव जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक है वहां लागत का 5% और जहां इनकी आबादी 50% से कम है वहां लागत की 10% राशि नकद या श्रम के रूप में अशंदान की जा सकती है।
- मिशन के अंतर्गत जल स्रोत संवर्धन, भू-जल प्रबंधन एवं वर्षा जल संचयन के कार्य कराये जा सकते है।
- विभिन्न स्तरों पर संस्थागत व्यवस्थायें बनायी गयी हैं। जो कि योजना के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग कर रही है।

घर घर का हो एक ही नारा
पानी बचाना संकल्प हमारा।

जल वितरण प्रणाली के संचालन और रख-रखाव में जल समिति की भूमिका :

ग्रामीण नल जल योजना के संचालन एवं रख-रखाव में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है समिति की प्रमुख भूमिकायें निम्नानुसार हैं-

- योजना के क्रियान्वयन के लिये कम दो पंप आपरेटरों का चयन करना।
- महिलाओं को पंप आपरेटर के रूप में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- समुदाय को जल कर जमा करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- जल वितरण व्यवस्था की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए उचित व्यवस्था करना।
- सभी बसाहटों में नियमित पानी मिलता रहे इसलिए पंप आपरेटर की सतत निगरानी करना।
- अवैध कनेक्शन वाले परिवारों को वैध कनेक्शन लेने के लिये प्रोत्साहित करना।
- ऐसे परिवार जो नियमित जल कर नहीं दे रहे है, उनको नियमित जल कर जमा करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- पंप आपरेटर द्वारा बनाये गये रजिस्टर की समय–समय पर जांच करना।

जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम स्तरीय संस्थाओं की जिम्मेदारी

काम	ग्राम सभा	ग्राम पंचायत	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
कार्य योजना बनाना	• ग्राम कार्य योजना बनाते समय समुदाय को भाग लेने के लिए प्रेरित करना। • स्थायी जल स्त्रोतों की पहचान एवं उनकी सुरक्षा पर चर्चा करना। • ग्राम कार्य योजना निर्माण एवं बजट पर चर्चा करना। • जल कर जमा करने के लिये समुदाय को प्रोत्साहित करना।	• योजना से जुड़े कर्मियों के लिये प्रशिक्षण व्यवस्था करना। • ग्राम सभा में वार्षिक बजट प्रस्तुत कर स्वीकृत कराना।	• योजना बनाने के लिये जल स्त्रोतों की पहचान करना। • जल वितरण की योजना बनाना। • पानी का उचित उपयोग करने हेतु समुदाय को जागरूक करना।
क्रियान्वयन और निगरानी	• जल वितरण व्यवस्था की निगरानी करने में सहयोग करना।	• निर्माण कार्यों की निगरानी करना।	• पंचायत को निर्माण कार्यों की निगरानी करने में सहयोग करना। • साल में कम से कम दो बार पानी की जाँच करना
संचालन एवं रख-रखाव	• जल कर राशि तय करना।	• ग्राम सभा के अनुमोदन अनुसार जल कर राशि के संबंध में कार्यवाही करना।	• प्रशिक्षित मैकेनिक से अनुबंध करना। • स्पेयर पार्ट्स खरीदना। • जल कनेक्शन स्वीकृत करना। • रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब – किताब रखना।
निगरानी, लेखा परीक्षण एवं रिपोर्टिंग	• किये गये कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना।	• अंशदान, जलकर एवं व्यय की मासिक समीक्षा करना। • संचालन एवं क्रियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।	• संचालन एवं क्रियान्वयन की तिमाही रिपोर्ट ग्राम सभा में प्रस्तुत करना।
बैठक	• ग्राम सभा के सभी सदस्यों की सहमति से ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन करना। • जल वितरण की नियमावली बनाना	• नियमानुसार बैठकों का आयोजन करना। • ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की मासिक बैठकें आयोजित करना।	• माह में समिति की एक बैठक करना। • ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक में भाग लेना।

जल वितरण प्रणाली से जुड़ी आम समस्यायें एवं उनका निवारण

क्र.	समस्या	संभावित निवारण	जिम्मेदारी
1.	पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होना।	• जल स्त्रोत स्थायित्व पर काम करना। • गांव के अन्य जल स्त्रोतों के साथ जोड़ना। • ग्रामवासियों को पानी की बरबादी रोकने के लिए प्रेरित करना। • हर घरों की नल में टोटी लगी हों। • अवैध कनेक्शनों पर रोक लगाना।	पंचायत
2.	बिजली की अनियमित उपलब्धता	वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत के रूप में सोलर पैनल स्थापित करना।	पंचायत/ पीएचईडी
3.	जल वितरण व्यवस्था का अधूरा क्रियान्वयन	गांव में अधूरे कार्य को पूरा करने के लिये जिला प्रशासन एवं पीएचईडी से पत्राचार करना।	पंचायत
4.	पाइप से पानी का लीकेज होना	लीकेज के स्थान की मरम्मत करना एवं खराब पाइप या सामग्री को बदलना।	पंचायत/ जल समिति
5.	वितरण में लापरवाही	• वितरण व्यवस्था नियमानुसार निर्धारित करना। • पंचायत तथा जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा समय-समय पर संचालन की निगरानी करना।	पंचायत/ जल समिति
6.	कम दबाव पर पानी का वितरण	• ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहले पानी पहुंचाने की व्यवस्था करना। • जरूरत के आधार पर चेक वॉल्व लगाना।	पंचायत/ जल समिति
7.	घरेलू स्तर पर अवैध कनेक्शन/ मोटर द्वारा पानी का खिचाव करना	• इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सघन निगरानी करना एवं समझाना। • नियामवली अनुसार जुर्माना तय करना	पंचायत